**कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड**
**4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001**
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 494 /XXV–12 /2008 (P–3) देहरादून : दिनांक 21 मई, 2015

सेवा में,

श्री अमित गौतम,
322, 8 सिविल लाईंस,
नन्दन भवन, रूड़की,
उत्तराखण्ड।

**विषयः– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सूचना अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 14 मई, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त आवेदन पत्र के माध्यम से वांछित बिन्दुवार सूचनायें निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही हैंः–

1. बिन्दु संख्या 01 में चाही गयी सूचना के संबंध में परिसीमन अधिनियम, 2002 की प्रति संलग्न प्रेषित है।
2. बिन्दु संख्या 02 में चाही गयी सूचना इस कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। जिससे वांछित सूचना उपलब्ध कराई जानी सम्भव नहीं है।
3. बिन्दु संख्या 03 में चाही गयी सूचना इस कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। जिससे वांछित सूचना उपलब्ध कराई जानी सम्भव नहीं है। अतः आप चाहें तो किसी भी कार्यालय दिवस एवं कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली/अभिलेखों का अवलोकन कर सकते हैं।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैंः–

**विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं**
**अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,**
**04–सुभाष रोड़,सचिवालय परिसर, देहरादून।**

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

**संलग्न–यथोपरि।**

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

# परिसीमन अधिनियम, 2002

## (2002 का अधिनियम संख्यांक 33)

[3जून, 2002]

लोक सभा में विभिन्न राज्यों को आबंटित स्थानों का प्रत्येक राज्य के लिए विधान सभा के कुल स्थानों का, प्रत्येक राज्य को और ऐसे प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र को जहां विधान सभा है, लोक सभा और राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की विधान सभाओं के निर्वाचन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन करने तथा उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

**1. संक्षिप्त नाम**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम परिसीमन अधिनियम, 2002 है ।

**2. परिभाषाएं**—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अनुच्छेद" से संविधान का अनुच्छेद अभिप्रेत है ;

(ख) "सहयुक्त सदस्य" से धारा 5 के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य अभिप्रेत है ;

(ग) "आयोग" से धारा 3 के अधीन गठित परिसीमन आयोग अभिप्रेत है ;

(घ) "निर्वाचन आयोग" से अनुच्छेद 324 में निर्दिष्ट निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है ;

(ङ) "सदस्य" से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है ; और

(च) "राज्य" के अंतर्गत ऐसा संघ राज्यक्षेत्र भी है जिसमें विधान सभा है, किन्तु इसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य नहीं है ।

**3. परिसीमन आयोग का गठन**—इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् केन्द्रीय सरकार यथाशक्यशीघ्र, परिसीमन आयोग के नाम से एक आयोग का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित तीन सदस्य होंगे :—

(क) एक सदस्य, जो ऐसा व्यक्ति होगा, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह आयोग का अध्यक्ष होगा ;

(ख) मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई निर्वाचन आयुक्त, पदेन :

परंतु इस खंड के अधीन किसी सदस्य के रूप में निर्वाचन आयुक्त का नामनिर्देशन करने के पश्चात् इस खंड के अधीन कोई और नामनिर्देशन, धारा 6 के अधीन ऐसे सदस्य की आकस्मिक रिक्ति को भरने के सिवाय, नहीं किया जाएगा ; और

(ग) संबद्ध राज्य का राज्य निर्वाचन आयुक्त, पदेन ।

[1][**स्पष्टीकरण**—खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए संबधित राज्य के निर्वाचन आयुक्त से—

(i) (मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्यों से भिन्न) किसी राज्य से संबंधित आयोग के कर्तव्यों के संबंध में अनुच्छेद 243ट के खंड (1) के अधीन उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त अभिप्रेत है ; और

(ii) यथास्थिति, मेघालय राज्य या मिजोरम राज्य या नागालैंड राज्य से संबंधित आयोग के कर्तव्यों के संबंध में, ऐसे प्रयोजनों के लिए उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नामनिर्देशित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है । ]

**4. आयोग के कर्तव्य**—(1) वर्ष 1971 में हुई जनगणना में यथा अभिनिश्चित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लोक सभा में विभिन्न राज्यों को स्थानों के आबंटन का और प्रत्येक राज्य के लिए विधान सभा के कुल स्थानों का परिसीमन अधिनियम, 1972 (1972 का 76) की धारा 3 के अधीन गठित परिसीमन आयोग द्वारा किया गया पुनः समायोजन इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आयोग द्वारा किया गया पुनः समायोजन समझा जाएगा ।

---

[1] 2004 के अधिनियम सं0 3 की धारा 2 द्वारा (31-10-2003 से) स्पष्टीकरण के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(2) आयोग उपधारा (1) और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोक सभा और राज्य विधान सभा के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए वर्ष [1][2001] में हुई जनगणना में यथा अभिनिश्चित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन करेगा :

परंतु जहां ऐसे पुनः समायोजन पर लोक सभा में किसी राज्य के लिए केवल एक स्थान आबंटित किया जाता है वहां उस राज्य से लोक सभा के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए संपूर्ण राज्य एक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र होगा ।

**5. सहयुक्त सदस्य**—(1) आयोग प्रत्येक राज्य के संबंध में अपने कार्यों में सहायता देने के प्रयोजन के लिए दस व्यक्तियों को अपने साथ सहयुक्त करेगा, जिनमें से पांच व्यक्ति उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के सदस्य होंगे और पांच व्यक्ति उस राज्य की विधान सभा के सदस्य होंगे :

परंतु जहां किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के सदस्यों की संख्या पांच या उससे कम है, वहां ऐसे सभी सदस्य उस राज्य के लिए सहयुक्त सदस्य होंगे और पश्चात्कथित दशा में, सहयुक्त सदस्यों की कुल संख्या दस से उतनी संख्या से कम होगी जितनी से उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या पांच से कम है ।

(2) प्रत्येक राज्य से इस प्रकार सहयुक्त होने वाले व्यक्तियों को, लोक सभा के सदस्यों की दशा में, उस सदन के अध्यक्ष द्वारा, और राज्य विधान सभा के सदस्यों की दशा में, उस विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा, यथास्थिति, लोक सभा या विधान सभा की संरचना का सम्यक् ध्यान रखते हुए, नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किए जाने वाले प्रथम नामनिर्देशन —

(क) इस अधिनियम के प्रारंभ से एक मास के अंदर विभिन्न विधान सभाओं के अध्यक्षों द्वारा और दो मास के अंदर लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा, किए जाएंगे ; और

(ख) मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसूचित किए जाएंगे, और जहां नामनिर्देशन विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा किए जाते हैं, वहां लोक सभा के अध्यक्ष को भी संसूचित किए जाएंगे ।

(4) सहयुक्त सदस्यों में से किसी को भी आयोग के किसी विनिश्चय पर मत देने या हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं होगा ।

(5) आयोग को निम्नलिखित को बुलाने की शक्ति होगी—

(क) भारत का महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त या उसका नामनिर्देशिती; या

(ख) भारत का महासर्वेक्षक या उसका नामनिर्देशिती ; या

(ग) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई अन्य अधिकारी ; या

(घ) भौगोलिक सूचना प्रणाली का कोई विशेषज्ञ ; या

(ङ) कोई अन्य व्यक्ति,

जिसकी विशेषज्ञता और ज्ञान को आयोग द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा दी गई सहायता के अतिरिक्त सहायता देने के लिए आवश्यक समझा जाए तथा इस प्रकार बुलाए गए अधिकारी और व्यक्ति आयोग की सहायता करने के लिए कर्तव्यबद्ध होंगे ।

(6) निर्वाचन आयोग का सचिव, आयोग का पदेन सचिव होगा और आयोग के अध्यक्ष के पर्यवेक्षण के अधीन निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों की सहायता से अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा ।

---

[1] 2004 के अधिनियम सं0 3 की धारा 3 द्वारा "1991" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

**6. आकस्मिक रिक्तियां**—यदि अध्यक्ष या किसी सदस्य या किसी सहयुक्त सदस्य का पद मृत्यु या त्यागपत्र के कारण रिक्त हो जाता है तो उसकी पूर्ति यथासाध्य शीघ्रता से यथास्थिति, धारा 3 या धारा 5 के उपबंधों के अधीन और अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा या संबद्ध अध्यक्ष द्वारा की जाएगी ।

**7. आयोग की प्रक्रिया और शक्तियां**—(1) आयोग, अपनी प्रक्रिया स्वयं अवधारित करेगा और अपने कृत्यों का पालन करने में उसे किसी वाद का विचारण करते समय निम्नलिखित विषयों के बारे में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

(क) साक्षियों को समन करने और उनको हाजिर कराने की ;

(ख) किसी दस्तावेज का पेश किया जाना अपेक्षित करने की ; और

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करने की ।

(2) आयोग को किसी व्यक्ति से, ऐसी बातों या विषयों के बारे में, जो आयोग की राय में उसके विचाराधीन किसी विषय के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत हैं, जानकारी देने के लिए अपेक्षा करने की शक्ति होगी ।

(3) आयोग, अपने सदस्यों में से किसी सदस्य को, उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (ग) और उपधारा (2) द्वारा उसको प्रदत्त शक्तियों में से किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी सदस्य द्वारा उन शक्तियों में से किसी के प्रयोग में दिए गए आदेश या किए गए किसी कार्य के बारे में यह समझा जाएगा कि, यथास्थिति, वह आदेश या कार्य आयोग का है ।

(4) यदि सदस्यों की राय में मतभेद है तो बहुमत की राय मानी जाएगी और आयोग के कार्य और आदेश बहुमत के दृष्टिकोण के अनुसार अभिव्यक्त किए जाएंगे ।

(5) इस बात के होते हुए भी कि, कोई सदस्य या सहयुक्त सदस्य अस्थायी रूप से अनुपस्थित है, या आयोग या सहयुक्त सदस्यों के उस या किसी अन्य समूह में रिक्ति विद्यमान है, आयोग तथा सहयुक्त सदस्यों के किसी समूह को कार्य करने की शक्ति प्राप्त होगी और आयोग या किसी सहयुक्त सदस्यों के समूह का कोई कार्य या कार्यवाही केवल ऐसी अस्थायी अनुपस्थिति या ऐसी रिक्ति की विद्यमानता के आधार पर अविधिमान्य या प्रश्नगत नहीं होगी ।

(6) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 345 और धारा 346 के प्रयोजनों के लिए आयोग को एक सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

**स्पष्टीकरण**—साक्षियों को हाजिर कराने के प्रयोजनों के लिए, आयोग की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं भारत के राज्यक्षेत्र की सीमाएं होंगी ।

**8. स्थानों की संख्या का पुनः समायोजन**—आयोग, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 के उपबंधों और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के सिवाय संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में, संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) की धारा 3 और धारा 39 तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के संबंध में, अनुच्छेद 239कक के खंड (2) के उपखंड (ख) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा—

(क) वर्ष 1971 में हुई जनगणना में यथा अभिनिश्चित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर और धारा 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोक सभा में प्रत्येक राज्य के लिए आबंटित स्थानों की संख्या अवधारित करेगा और वर्ष [1][2001] में हुई जनगणना में यथा अभिनिश्चित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर उन स्थानों की, यदि कोई हों, संख्या अवधारित करेगी जिन्हें राज्य की अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया जाना है ; और

(ख) वर्ष 1971 में हुई जनगणना में यथा अभिनिश्चित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर और धारा 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिए स्थानों की कुल संख्या अवधारित करेगा और वर्ष [1][2001] में हुई जनगणना में अभिनिश्चित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर उन स्थानों की, यदि कोई हों, संख्या अवधारित करेगा जिन्हें राज्य की अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया जाना है :

---

[1] 2004 के अधिनियम सं0 3 की धारा 4 द्वारा (31-10-2003 से ) '1991' के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

परंतु खंड (ख) के अधीन किसी राज्य की विधान सभा के लिए स्थानों की कुल संख्या, खंड (क) के अधीन उस राज्य के लिए लोक सभा में आबंटित स्थानों की संख्या का पूर्णांकी गुणित होगा ।

**9. निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन**--(1) आयोग, प्रत्येक राज्य के लिए लोक सभा में आबंटित स्थानों तथा 1971 की जनगणना के आधार पर यथा पुनः समायोजित प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिए स्थानों को इसमें नीचे उपबन्धित रीति से, एक सदस्यीय प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में वितरित करेगा, तथा [1][2001] में हुई जनगणना में यथा अभिनिश्चित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर उनका परिसीमन संविधान के उपबंधों और धारा 8 में विनिर्दिष्ट अधिनियम के उपबंधों और निम्नलिखित उपबंधों को भी ध्यान में रखते हुए करेगा, अर्थात् :--

(क) सभी निर्वाचन-क्षेत्र यथासाध्य भौगोलिक रूप में संहत क्षेत्र होंगे और उनका परिसीमन करते समय उनकी प्राकृतिक विशेषताओं, प्रशासनिक इकाइयों की विद्यमान सीमाओं, संचार सुविधाओं और सार्वजनिक सुविधा को ध्यान में रखना होगा ;

(ख) प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र का परिसीमन इस प्रकार किया जाएगा कि वह संपूर्ण रूप से एक ही संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के अन्दर आ जाएं ;

(ग) उन निर्वाचन-क्षेत्रों को, जिनमें अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित हैं, राज्य के विभिन्न भागों में वितरित किया जाएगा और यथासाध्य उन्हें उन क्षेत्रों में अवस्थान दिया जाएगा जिनमें पूरी जनसंख्या से उनकी जनसंख्या का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक है ; और

(घ) उन निर्वाचन-क्षेत्रों को जिनमें अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित हैं, यथासाध्य ऐसे क्षेत्र में अवस्थान दिया जाएगा जिनमें पूरी जनसंख्या से उनकी जनसंख्या का अनुपात अधिकतम है ।

(2) आयोग--

(क) निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए अपनी प्रस्थापनाओं को, किसी ऐसे सहयुक्त सदस्य की, विसम्मत प्रस्थापनाओं सहित, यदि कोई हों, जो उनका प्रकाशन चाहता है, भारत के राजपत्र में और सम्बद्ध राज्यों के राजपत्रों में और ऐसी अन्य रीति से, जो वह उचित समझता है, प्रकाशित करेगा ;

(ख) ऐसी तारीख विनिर्दिष्ट करेगा जिसको या जिसके पश्चात् वह प्रस्थापनाओं पर आगे विचार करेगा ;

(ग) उन सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगा जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त हो गए हैं, और इस प्रकार विचार करने के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य में ऐसे स्थान या स्थानों पर, जिन्हें वह उचित समझता है, एक या अधिक सार्वजनिक बैठकें करेगा ; और

(घ) तत्पश्चात् एक या अधिक आदेशों द्वारा प्रत्येक राज्य के --

(i) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन ; और

(ii) विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन,

अवधारित करेगा ।

**10. आदेशों का प्रकाशन और उनके प्रवर्तन की तारीख**--(1) आयोग, धारा 8 या धारा 9 के अधीन किए गए अपने प्रत्येक आदेश को भारत के राजपत्र और संबद्ध राज्यों के राजपत्रों में प्रकाशित करवाएगा और साथ ही ऐसे आदेशों को कम से कम दो देशी भाषा के समाचारपत्रों में प्रकाशित करवाएगा और रेडियो, टेलीविजन और जनता को उपलब्ध अन्य संभव मीडिया में प्रचारित करेगा और संबद्ध राज्यों के राजपत्रों में ऐसे प्रकाशन के पश्चात्, प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी, अपनी अधिकारिता के अधीन के क्षेत्र से संबंधित ऐसे आदेशों के राजपत्रित पाठ को सार्वजनिक सूचना के लिए अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान में लगवाएगा ।

---

[1] 2004 के अधिनियम सं0 3 की धारा 3 द्वारा (31-10-2003 से ) '1991' के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(2) भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने पर ऐसा प्रत्येक आदेश विधि का बल रखेगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(3) ऐसे प्रकाशन के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, ऐसा प्रत्येक आदेश लोक सभा और संबद्ध राज्यों की विधान सभाओं के समक्ष रखा जाएगा ।

(4) उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोक सभा में या किसी राज्य विधान सभा में विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का पुनःसमायोजन और ऐसे किसी आदेश में उपबंधित उन निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन, उस आदेश के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चात्, होने वाले, यथास्थिति, उन लोक सभा या विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचन के संबंध में लागू होंगे और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या ऐसी विधि के अधीन जारी किए गए किसी आदेश या अधिसूचना में अंतर्विष्ट ऐसे प्रतिनिधित्व और परिसीमन, जहां तक कि ऐसा प्रतिनिधित्व और परिसीमन इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत हो, से संबंधित उपबंधों को अतिष्ठित करते हुए उसी प्रकार लागू होंगे :

[1][परंतु इस उपधारा की कोई बात झारखंड राज्य के संबंध में प्रकाशित परिसीमन आदेशों को लागू नहीं होगी ।]

(5) इस धारा की कोई बात, यथास्थिति, संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों या किसी राज्य के विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में आयोग के, जो अंतिम आदेश होते हैं, उनके भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को विद्यमान, यथास्थिति, लोक सभा या विधान सभा के प्रतिनिधित्व पर तब तक प्रभाव नहीं डालेगी, जब तक लोक सभा या विधान सभा का विघटन नहीं होता है और ऐसी लोक सभा या विधान सभा की किसी रिक्ति की पूर्ति के लिए कोई उपनिर्वाचन उन विधियों और आदेशों के उपबंधों के, जिन्हें उपधारा (4) द्वारा अतिष्ठित किया गया है, आधार पर इस प्रकार किया जाएगा मानो उक्त उपबंधों को अतिष्ठित न किया गया हो ।

(6) आयोग, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपने प्रत्येक आदेश को उस उपधारा में उपबंधित रीति में, धारा 3 के अधीन [2][ऐसी अवधि के भीतर जो 31 जुलाई, 2008 के बाद की नहीं होगी] पूरा करने और उसे प्रकाशित करने का प्रयास करेगा ।

[3][**10क. कतिपय मामलों में परिसीमन का आरक्षण**—(1) धारा 4, धारा 8 और धारा 9 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे भारत की एकता और अखंडता संकट में है या शांति और लोक व्यवस्था को गंभीर खतरा है, तो वह, आदेश द्वारा, किसी राज्य में परिसीमन कार्यवाई को आरक्षित कर सकेगी ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

**10ख. झारखंड राज्य की बाबत परिसीमन आयोग के आदेश का कोई विधिक प्रभाव न होना**—धारा 10 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, झारखंड राज्य की बाबत आदेश आ.एस. 63(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2007 और आ.एस. 110(अ), तारीख 17 अगस्त, 2007 द्वारा उक्त धारा के अधीन प्रकाशित स्थानों की संख्या के पुनः समायोजन और निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित अंतिम आदेशों का कोई विधिक प्रभाव नहीं होगा और उक्त आदेशों के प्रकाशन से पूर्व यथाविद्यमान निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन, परिसीमन (संशोधन) अधिनियम, 2008 के प्रारंभ के पश्चात् कराए गए, यथास्थिति, लोक सभा या विधान सभा के लिए प्रत्येक निर्वाचन के संबंध में वर्ष 2026 तक प्रवृत्त बना रहेगा ।]

**11. परिसीमन आदेशों को अद्यतन बनाए रखने की शक्ति**—(1) निर्वाचन आयोग भारत के राजपत्र में और संबद्ध राज्य के राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा समय-समय पर—

(क) आयोग, धारा 9 के अधीन किए गए आदेशों में से किसी में मुद्रण संबंधी भूल या अनवधानता से हुई किसी भूल या लोप के कारण उसमें उत्पन्न होने वाली किसी गलती को ठीक कर सकेगा ; और

(ख) जहां उक्त आदेशों में से किसी आदेश में वर्णित किसी जिले या किसी प्रादेशिक खण्ड की सीमाओं या उसके नाम में कोई परिवर्तन किए जाते हैं वहां आदेशों को अद्यतन करने के लिए ऐसे संशोधन कर सकेगा जो उसे आवश्यक या समचीन प्रतीत होते हैं, किंतु यह इस प्रकार करेगा कि किसी अधिसूचना से किसी निर्वाचन-क्षेत्र की सीमाओं या क्षेत्रफल या विस्तार में परिवर्तन नहीं होगा ।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अधिसूचना को, उसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, लोक सभा और संबद्ध राज्य की विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

**12. निरसन**—परिसीमन अधिनियम, 1972 (1972 का 76) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

---

[1] 2008 के अधिनियम सं0 9 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।
[2] 2008 के अधिनियम सं0 9 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2008 के अधिनियम सं0 9 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित ।

443/AS-५/15

R.T.I

S.O. Ele.

दिनांक 14–05–2015

19.5.15

(ओम प्रकाश नैथानी)
वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव,
अपर सचिव, कार्मिक एवं निर्वाचन,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,
अवर सचिव,
स्टेट इलैक्शन कमीशन,
उत्तराखण्ड
निर्वाचन भवन, ग्राम लादपूर,
मसूरी बायपास रोड,
देहरादून (उत्तराखण्ड)।

विषयः– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थी आपसे निम्न बिन्दुओं पर सूचना प्राप्त करना चाहता है

1. किसी विधान सभा क्षेत्र के परिसीमन का आधार क्या है।
2. रूड़की विधान सभा क्षेत्र में ग्राम बिझौली को जोड़ने का क्या कारण है, यद्यपि ग्राम बिझौली एवं रूड़की के बीच में दो विधान सभा क्षेत्र पड़तें है।
3. गुलाब नगर जो पूर्व में रूड़की विधान सभा क्षेत्र में था उसे पृथक करने के क्या कारण है।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त जानकारी समय पर प्रदान करने की कृपा करे।

भवदीय्

(अमित गौतम)
322, 8 सिविल लाईंस
नन्दन भवन,
रूड़की (उत्तराखण्ड)।

संलग्नकः–
रू0 10/– मूल्य का भारतीय पोस्टल आर्डर नं0:– 28F 173085

श्री सेमवाल
शीघ्र वांछित
सूचना आवेदक को उपलब्ध
कराई जाय।
20/5/15
S.O/PID

प्रेषक,

**लोक सूचना अधिकारी/**
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

**सेवा में,**

**लोक सूचना अधिकारी/**
अनुभाग अधिकारी,
का0–प्रमुख सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र सं0:–2312/25–14(सू.अ.अ.)/2014 दिनांकः 15–12–2014

विषयः– **श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून के शिकायती पत्र दिनांक 04–06–2014 के सन्दर्भ में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय में अपील संख्या–15260 के सन्दर्भ में सूचना का प्रेषण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2014 हेतु 05–हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा रिटर्निंट आफिसर को प्रस्तुत किये गये अपने नामांकन पत्र में दी गई सूचना के सम्बन्ध में श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून के द्वारा आपात्ति पत्र दिनांक 04–06–2014 में 05 बिन्दुओं पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुए श्री निशंक द्वारा भरे गये नामांकन पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच कराने एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125क मिथ्या शपथ पत्र आदि फाईल करने के लिए शास्ति के अन्तर्गत श्री निशंक के विरूद्ध आपाराधिक मामला दर्ज करावा कर उपयुक्त दण्डात्मक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रकरण की जांच हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को जांच अधिकारी नामित किया गया है। उक्त सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही के **01** लगायत **72** पृष्ठ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं। साथ ही यह भी अनुरोध करना है कि उक्त प्रकरण पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 125क के अधीन कार्यवाही के सम्बन्ध में मार्ग दर्शन करने का कष्ट करें।

**संलग्नक–** **01 लगायत 106 पृष्ठ**।

भवदीय,

15/12/2014

लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।